मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

अस्थिबाधित नि:शक्त श्रेणी के सहायक वर्ग-3 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 02/स्थापना/2015/ 05.06.2015
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 22.06.2015

अभिलेखों सहित आयोग कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
27.06.2015

महत्वपूर्ण

1- **आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 09.06.2015 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 22.06.2015 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है ।**

2- **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 14.06.2015 से 24.06.2015 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 30/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते है । आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपने मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई डी की प्रविष्टि करें क्योंकि आयोग द्वारा आवश्यक सूचनाए SMS या ई-मेल से ही दी जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी।**

एक मध्य प्रदेश के मूल निवासी अस्थिबाधित नि:शक्तजन श्रेणी के आवेदकों से **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग** , कार्यालय में रिक्त निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
सहायक वर्ग-3 **Assistant Grade-3**	02	हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद, भोपाल द्वारा हिन्दी मुद्रण परीक्षा उत्तीर्ण एवं निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कंप्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है:- 1. Diploma from all universities recognized by UGC. 2. Diploma from all open universities recognized by UGC. 3. Diploma level examination from DOEACC. 4. Modern Office Management course from Govt. Polytechnic College.

दो - पद का विवरण

(A) **कार्यालय का नाम** : **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग**
(B) **श्रेणी** : तृतीय श्रेणी
(C) **पद स्थिति** : अस्थायी
(D) **वेतनमान** : रुपये 5200-20200+1900 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगें।
(G) **आयु सीमा:** **18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 45 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

टीप: पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है किन्तु नि:शक्तजनों को देय छूट तथा सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित होने के कारण पद हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

(H) **आयु संगणनां तिथि** **01.01.2016**

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की

अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iii) **सहायक वर्ग-3 के उक्त पद केवल** मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 प्रतिशत या अधिक अस्थिबाधित नि:शक्त आवेदकों हेतु चिन्हांकित है अन्य श्रेणी के आवेदक उक्त पदों हेतु आवेदन के पात्र नहीं होंगें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छ: **अधिवार्षिकी आयु :- 60 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया** :- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा। हायर सेकेण्डरी/ 10+2 में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में 15 आवेदकों तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को SMS/ आयोग की वेबसाइट **www.mp psc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा । । **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र केवल इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो एसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश की जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

सचिव

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक वर्ग-3** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.com
3. www.mppsc.nic.in

2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही पोर्टल शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें की भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर पोर्टल चार्ज का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी पोर्टल चार्ज का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **14.06.2015** से **24.06.2015** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 30/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

2- **उक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों को आयोग को किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना है केवल आवेदन भरने के लिए ₹ 40 तथा त्रुटि सुधार की स्थिति में प्रति सुधार सत्र ₹ 30 का भुगतान पोर्टल चार्ज के रूप में करना है।**

पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन - 0755-4019400

नोट : **यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-**

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026, हेल्पलाइन - 0755-4019400

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **<u>22.06.2015</u>** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के बाद प्राप्त आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न कर आयोग को दिनांक <u>27.06.2015</u> को सायं 5:30 बजे तक तक आयोग कार्यालय को निम्न पते पर प्रस्तुत करें। उक्त दिनांक के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा :-**

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731)

<u>आयु संबंधी / शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण के लिए :-</u> जन्म तिथि प्रमाणन हेतु हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो। अर्हता प्रमाणन हेतु निम्न अभिलेख संलग्न करें :-

(अ) मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र

(आ) जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) 40 प्रतिशत या अधिक का अस्थिबाधित नि:शक्तता का प्रमाण-पत्र

(इ) हायर सेकेण्डरी अथवा 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण

(ई) मध्य प्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद, भोपाल द्वारा हिन्दी मुद्रण परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र

(उ) कंप्यूटर दक्षता के संदर्भ में मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण-पत्र

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।